

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2019—आषाढ़ 26, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. एफ-1-बी-30-2018-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि कार्यपालक सेवा भर्ती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

नियमों की, अनुसूची—दो में कालम (7) में अनुक्रमांक एक एवं चार के सामने निम्नलिखित अभियुक्तियाँ अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियाँ
			सीधी भरती द्वारा चयन [नियम 6 (क) देखिए]	सेवा के मूल सदस्यों द्वारा [नियम 6 (ख) देखिए]	सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग. एक-क्षेत्र तथा विस्तार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.	722	10 प्रतिशत	90 प्रतिशत	निरंक	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05-06-2018 के अनुसार 20 प्रतिशत पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिन्होंने संविदा आधार पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो.
4	2-ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक) ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक).	6371	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 दिनांक 05-06-2018 के अनुसार 20 प्रतिशत पद उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे जिन्होंने संविदा आधार पर 05 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. एफ-1(बी)-30-2018-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-(बी) 30-2018-चौदह-1, दिनांक 17 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 17th July 2019

No. F-1 (B)-30-2018-XIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendemnts in the Madhya Pradesh subordinate Agricultural Executive Service Recruitment Rules, 1972, namely:—

AMENDMENT

In schedule II of the rules, in coloumn (7) against serial number 1 and 4 the following remarks shall be inserted, namely:—

SCHEDULE—II
(See Rule 6)

Name of Department	Name of Service/ Post	Total number of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment by selection [vide rule 6(a)]	By promotion of the substantive members of the service [vide rule 6(b)]	By transfer by of person from services [vide rule 6(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Farmer Welfare and Agriculture Development Department.	1-FIELD AND EXTENSION					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1-Senior Agriculture Development Officer.	722	10%	90%	Nil	20% post shall be reserved for the person who have Completed 5 years service on contract basis as per the circular no. C-5-2/2018/1/3 dated 5-6-2018, issued by the General Administration Department.
4	2-Rural Agriculture Extension Officer (Graduate) Rural Agriculture Extension Officer (Non- Graduate).	6371	100%	Nil	Nil	20% post shall be reserved for the person who have Completed 5 years service on contract basis as per the circular no. C-5-2/2018/1/3 dated 5-6-2018, issued by the General Administration Department.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
UPENDRANATH SHARMA, Dy. Secy.